(वाद सं०–2635/4/26/2022)

11.01.2024

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, अमित दयाल, की माता, स्व० गायत्री वर्मा, पत्नी–ईश्वर दयाल वर्मा, की वर्ष–2019 में हुई कोरोना महामारी से मृत्यु के उपरान्त अबतक मृतक के आश्रित को मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **जिला पदाधिकारी, पटना** से प्रतिवेदन की मॉंग की गई। जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिवेदन पर विचार कर राज्य आयोग द्वारा दिनांक–07.06.2023 को अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना से परिवादी की माता, स्व० गायत्री वर्मा, की कोरोना महामारी से हुई मृत्यु पर बिहार सरकार के तत्सम्बन्धी परिपत्र के आलोक में अनुग्रह अनुदान के भुगतान के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रतिवेदन की मॉंग की गई।

उपरोक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, पटना के माध्यम से प्राप्त जिला स्वास्थ्य समिति, पटना के द्वारा विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सम्बोधित पत्र की प्रति राज्य आयोग को अनुलग्नित की गयी है, जिसके अनुसार **‘‘मृतका, स्व० गायत्री वर्मा, की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रित पुत्र, परिवादी, अमित दयाल, को क्रमशः चेक संख्या–190607, दिनांक–27.02.2023 के माध्यम से 4,00,000/– (चार लाख रूपये) व चेक संख्या–190617, दिनांक–27.02.2023 के माध्यम से 50,000/– (पचास हजार रूपये) का अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान किया जा चुका है।’’**

अब जबकि परिवादी को उनकी माता, स्व० गायत्री वर्मा, की कोरोना महामारी में हुई मृत्यु के उपरान्त अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान किया जा चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में

प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

**कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, पटना के प्रतिवेदन (पृष्ठ 68–62/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार, परिवादी को सूचित कर दिया जाय।**

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव